"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 फरवरी 2014— माघ 24, शक 1935

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2014

क्रमांक एफ - 90/रानिआ/न. पा./व्यय लेखा/2010/240.— छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने अध्यक्ष पद आम निर्वाचन, दिसम्बर, 2009 में नगर पंचायत टुण्डरा, जिला-बलौदाबाजार (अविभाजित जिला-रायपुर), छ. ग. के 07 अभ्यर्थियों को निरर्हित घोषित किया है, कि सूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. के. तिवारी,
उप-सचिव

प्रकरण क्रमांक एफ-90/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. जोहितराम देवांगन, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत टुण्डरा, जिला बलौदाबाजार (अविभाजित जिला रायपुर), छ. ग.
2. धरमराज साहू, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत टुण्डरा, जिला बलौदाबाजार (अविभाजित जिला रायपुर), छ. ग.
3. रामशंकर पटेल (गुड्डु) अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत टुण्डरा, जिला बलौदाबाजार (अविभाजित जिला रायपुर), छ. ग.
4. रामशकर पटेल, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत टुण्डरा, जिला बलौदाबाजार (अविभाजित जिला रायपुर), छ. ग.
5. लच्छराम ढीमर, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत टुण्डरा, जिला बलौदाबाजार (अविभाजित जिला रायपुर), छ. ग.
6. सतीशकुमार साहू, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत टुण्डरा, जिला बलौदाबाजार (अविभाजित जिला रायपुर), छ. ग.
7. साधूराम देवांगन, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत टुण्डरा, जिला बलौदाबाजार (अविभाजित जिला रायपुर), छ. ग.

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)

पारित दिनांक 11 फरवरी 2014

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित जिला रायपुर (एतत्पश्चात् संक्षेप में निर्वाचन अधिकारी) के प्रतिवेदन दिनांक 22 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32- ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत टुण्डरा के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 10 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग (एतत्पश्चात् संक्षेप में आयोग) को अपने ज्ञापन दिनांक 22 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत टुण्डरा के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों जोहितराम देवांगन, धरमराज साहू, रामशंकर पटेल (गुड्डु), रामशकर पटेल, लच्छराम ढीमर, सतीशकुमार साहू एवं साधूराम देवांगन द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 26 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों जोहितराम देवांगन, धरमराज साहू, रामशंकर पटेल (गुड्डु), रामशकर पटेल, लच्छराम ढीमर, सतीशकुमार साहू एवं साधूराम देवांगन को दिनांक 12 मार्च 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर जवाब (लिखित अभ्यावेदन) 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई कि विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा अर्थात् नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख तक के निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उनको 5 वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए नगरपंचायत का अध्यक्ष अथवा पार्षद होने के लिए निरर्हित क्यों न किया जाए. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी सतीशकुमार को तामील होने पर उनके द्वारा कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब आयोग को दिनांक 20 अप्रैल 2010 को प्रस्तुत किया. अन्य अभ्यर्थियों को कारण बताओ सूचना तामील नहीं होने के कारण पुन: दिनांक 13 अप्रैल 2011 को सूचना जारी की गई. अभ्यर्थी रामशकर पटेल द्वारा अपना जवाब आयोग में दिनांक 1 मार्च 2012 को प्रस्तुत किया गया. शेष अन्य अभ्यर्थियों को दिनांक 9 अप्रैल 2013 को पुन: कारण बताओ सूचना जारी कर तामील कराई गई. अभ्यर्थियों जोहितराम देवांगन, धरमराज साहू, रामशंकर पटेल (गुड्डु), लच्छराम ढीमर एवं साधूराम देवांगन ने कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् भी अपना जवाब आयोग को प्रस्तुत नहीं किया. ऐसी स्थिति में यह माना जाकर कि उक्त अभ्यर्थियों को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है ; उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई .

4. अभ्यर्थी रामशकर पटेल ने कारण बताओ सूचना के संदर्भ में प्रस्तुत अपने जवाब में उल्लेख किया है कि उनके भतीजे की कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण वे निर्वाचन में सम्मिलित नहीं हो पाए. अतएव उनका चुनाव में हुए खर्च को निरंक माना जावे. यह भी उल्लेख किया कि तत्संबंधी जानकारी नगरपंचायत टुण्डरा को दी गई थी. इसके सन्दर्भ में आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने अभिमत में उल्लेख किया है कि अभ्यर्थी रामशकर पटेल द्वारा प्रस्तुत जवाब सही है अतएव जवाब को मान्य किया जावे. इस पर अभ्यर्थी रामशकर पटेल को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु, व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 30 दिसम्बर 2013 को आयोग में आहूत किया गया. विधिवत् सूचना तामील होने के उपरान्त भी अभ्यर्थी रामशकर नियत दिनांक को अनुपस्थित रहा. अत: यह मानते हुए कि अभ्यर्थी को अपने जवाब के समर्थन में और कुछ नहीं कहना है, उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

5. अभ्यर्थी सतीशकुमार साहू ने कारण बताओ सूचना के संदर्भ में प्रस्तुत अपने जवाब में उल्लेख किया है कि उन्होंने नगरपंचायत टुण्डरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था, किन्तु उन्होंने प्रथम बार चुनाव लड़ा था, जिसके कारण सही जानकारी नहीं होने, संबंधित पुस्तिका उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाने तथा दस्तावेजों की कमी के कारण, उन्हें वापस कर दिये जाने कारण, वे सही समय पर हिसाब नहीं दे पाए. उनके द्वारा स्पष्टीकरण स्वीकार करने का निवेदन किया गया. इसके

सन्दर्भ में आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारी का अभिमत प्राप्त किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने अभिमत में उल्लेख किया है कि अभ्यर्थी सतीशकुमार साहू का जवाब सही है, अतएव उसे मान्य किया जावे. इस पर अभ्यर्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 30 दिसम्बर 2013 को आयोग में आहूत किया गया. अभ्यर्थी सतीशकुमार साहू को उपस्थित होने पर सुना गया तथा उनका शपथपूर्वक बयान लिपिबद्ध किया गया. शपथपूर्वक बयान में अभ्यर्थी ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपना निर्वाचन व्यय लेखा नगरपंचायत में दिया था, जो कुछ कागजात की कमी होने के कारण उन्हें वापस कर दिया गया था.

6. प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थिगण जोहितराम देवांगन, धरमराज साहू, रामशंकर पटेल (गुड्डु), रामशकर पटेल, लच्छराम ढीमर, सतीशकुमार साहू एवं साधूराम देवांगन ने निर्वाचन व्यय लेखा समय सीमा में विहित अधिकारी को विधि के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :

> "**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा -** प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32 -क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

> "**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना** - अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. चूंकि 26 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश का दिन था; अत: उक्त व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था यद्यपि निर्वाचन अधिकारी ने इसे अपने प्रतिवेदन में दिनांक 26 जनवरी 2010 उल्लेखित किया है.

7. निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन, अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपंचायत टुण्डरा के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों जोहितराम देवांगन, धरमराज साहू, रामशंकर पटेल (गुड्डु), लच्छराम ढीमर एवं साधूराम देवांगन ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में औचित्यतापूर्ण जवाब प्रस्तुत किया. अभ्यर्थी रामशकर पटेल को उनके जवाब के संन्दर्भ में प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें दिनांक 30 दिसम्बर 2013 को आहूत किया गया था जिसमें वे सूचना प्राप्ति के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए. यद्यपि अभ्यर्थी रामशकर पटेल ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में आयोग को प्रस्तुत अपने जवाब में यह उल्लेख किया है कि उनके भतीजे का एक्सीडेंट हो जाने के कारण वे निर्वाचन में भाग नहीं ले सके थे; अत: निर्वाचन व्यय निरंक माना जावे तथापि उन्हें निर्वाचन में अभ्यर्थी होने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा अधिनियम की धारा 32-क की अपेक्षानुसार संधारित करना तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार उसे निर्धारित समयावधि में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करना अनिवार्य था. निर्वाचन अधिकारी ने अभ्यर्थी रामशकर पटेल के जवाब को स्वीकृत करने का अभिमत दिया है किन्तु यह उपरोक्त प्रावधानों की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है. अभ्यर्थी सतीशकुमार साहू ने अपने जवाब में यह उल्लेख किया है कि वे लेखे जोखे के साथ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर आये थे, कुछ दस्तावेजों की कमी के कारण उन्हें वापस कर दिया गया जबकि अपने कथन में उल्लेख किया है कि निर्वाचन व्यय लेखा नगरपंचायत में देने पर कुछ कागजात की कमी होने पर उन्हें वापस कर दिया गया था. अभ्यर्थी के जवाब एवं कथन में समानता नहीं है. इसके अलावा अभ्यर्थी ने यह उल्लेख भी नहीं किया है कि उनके द्वारा व्यय लेखा दाखिल करने का प्रयास किस तारीख को किया गया. अतएव यह माना जाना विधि अनुरूप नहीं होगा कि उन्होंने निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने का सम्यक् प्रयास किया. वैसे भी निर्वाचन व्यय लेखा अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्धारित समयावधि में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना था. किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया. यद्यपि निर्वाचन अधिकारी ने सतीशकुमार साहू के जवाब के सन्दर्भ में अपना अभिमत दिया है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब मान्य किया जावे; लेकिन ऐसा करना अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगा. उपरोक्त विवेचना से आयोग को यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण जोहितराम देवांगन, धरमराज साहू, रामशंकर पटेल (गुड्डु), रामशकर पटेल, लच्छराम ढीमर, सतीशकुमार साहू एवं साधूराम देवांगन प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता भी नहीं रखते हैं. अधिनियम की धारा 32-ग में बिना अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्यता रहित असफलता के लिए आदेश की तारीख से 5 वर्ष से अनाधिक कालावधि के लिए अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निर्हित करने का प्रावधान है ; लेकिन विद्यमान परिस्थिति में दो वर्ष की कालावधि हेतु निर्हित करना न्याय के हित में उचित प्रतीत होता है. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों जोहितराम देवांगन, धरमराज

साहू, रामशंकर पटेल (गुड्डु), रामशकर पटेल, लच्छराम ढीमर, सतीशकुमार साहू एवं साधूराम देवांगन को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहीत रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिये नगरपंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

8. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 11 फरवरी 2014 को जारी किया गया.

हस्ता./-
(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.